

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका संख्या-05/स0 भू0 देव0 (AIIMS)-197/2017.....//...../रा0, राँची, दिनांक-02.01.18

राज्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो0-डोरण्डा, राँची।


विषय:- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-26.12.17 में मद संख्या-06 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.14 की कंडिका-4 (f) को शिथिल करते हुए देवघर जिलान्तर्गत देवीपुर अंचल के विभिन्न मौजा, थाना सं0, खाता सं0 एवं प्लॉट सं0 में अंतर्निहित कुल रकबा-236.92 एकड़ गैरमजरुआ खास एवं आम भूमि किस्म-रैयती भूमि (SPIADA द्वारा अधिग्रहित), परती कदीम, रास्ता, आहर, नाला, गढ़हा एवं गोचर भूमि (गोचर भूमि का रकबा-35.27 एकड़) (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक -I) पर AIIMS की स्थापना हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण एवं उक्त भूमि के निबंधन में निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क प्रभार्य नहीं होने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i) प्रासंगिक मामले में प्रस्तावित गोचर भूमि रकबा-35.27 एकड़ भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारवां एवं मधुपुर के विभिन्न मौजा, थाना सं0, खाता सं0 एवं प्लॉट सं0 में अंतर्निहित कुल रकबा-35.27 एकड़ परती कदीम भूमि को उपायुक्त, देवघर के आदेश सं0-2831/रा0, दिनांक-13.11.17 द्वारा गोचर अधिसूचित किया गया है। (संलग्न अनुलग्नक -II)
- ii) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में आंकेत रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii) उपायुक्त, देवघर यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

- iv) अन्य सभी शर्तें एवं इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।
- v) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
- vi) इस मामले में निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(उदय प्रताप)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-05/स0 भू0 देव0 (AIIMS)-197/2017 11/18 राँची, दिनांक- 02-01-18

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


II. विषय से संबंधित अभिलेख सं0-16/17-18, 04/17-18, 05/17-18, 09/17-18, 10/17-18, 11/17-18, 15/17-18, 06/17-18 एवं 13/17-18 मूल रूप में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनु0-यथोक्त।

2. आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को उनके कार्यालय के पत्रांक-153/रा0, दिनांक-06.10.17 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा-12 (समन्वय) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-I

संचिका सं०-05/स० भू० देव० (AIIMS)-197/17...../स०,

दिनांक- 02-01-18

भूमि की विवरणी :-

| क्र० | अभिलेख संख्या | जिला | अंचल | मौजा | थाना सं० | खाता सं० | दाग सं० | रकबा (एकड़ में) | भूमि का किस्म/विभाग का नाम |
|--------|---------------|-------|---------|-----------|----------|----------|---------|-----------------|----------------------------|
| 01. | 16/17-1 8 | देवघर | देवीपुर | सुलतानपुर | 296 | 23 क | 124 | 1.41 | |
| | | | | | | 23 क | 182 | 0.98 | |
| | | | | | | 23 क | 183 | 0.42 | |
| | | | | | | 23 क | 123 | 0.35 | |
| | | | | | | 23 क | 122 | 0.07 | |
| | | | | | | 23 क | 129 | 0.10 | |
| | | | | | | 23 क | 130 | 0.18 | |
| | | | | | | 23 क | 129 | 0.43 | |
| | | | | | | 23 क | 176 | 0.15 | |
| | | | | | | 23 क | 174 | 0.16 | |
| | | | | | | 23 क | 173 | 0.48 | |
| | | | | | | 23 क | 161 | 0.10 | |
| | | | | | | 1 | 181 | 1.25 | |
| | | | | | | 1 | 127 | 0.29 | |
| | | | | | | 1 | 134 | 3.50 | |
| | | | | | | 4 | 180 | 0.32 | |
| | | | | | | 4 | 160 | 0.20 | |
| | | | | | | 8 | 119 | 0.34 | |
| | | | | | | 8 | 120 | 0.19 | |
| | | | | | | 8 | 131 | 0.08 | |
| | | | | | | 8 | 172 | 0.87 | |
| | | | | | | 8 | 159 | 0.31 | |
| | | | | | | 10 | 164 | 0.35 | |
| | | | | | | 15 | 179 | 0.14 | |
| | | | | 15 | 178 | 0.22 | | | |
| | | | | 15 | 177 | 0.15 | | | |
| | | | | 18 | 128 | 0.30 | | | |
| | | | | 18 | 165 | 0.17 | | | |
| | | | | 18 | 162 | 1.91 | | | |
| | | | | 18 | 166 | 2.18 | | | |
| | | | | 18 | 168 | 1.99 | | | |
| | | | | 21 | 163 | 0.26 | | | |
| 23 | 184 | 0.96 | | | | | | | |
| 23 | 126 | 0.07 | | | | | | | |
| 23 | 125 | 0.30 | | | | | | | |
| 23 | 175 | 0.10 | | | | | | | |
| रामपुर | 183 | | | | | 2 | 310 | 0.08 | |
| | | | | | | 2 | 314 | 0.85 | |
| | | | | | | 3 | 361 | 0.72 | |
| | | | | | | 3 | 362 | 0.08 | |
| | | | | | | 3 | 363 | 0.81 | |

रैयती भूमि (SPIADA द्वारा अधिग्रहित)



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|-----|-------|---|
| | | | | | 6 | 256 | 0.45 | रैयती भूमि (SPIADA द्वारा अधिग्रहित) |
| | | | | | 6 | 260 | 0.32 | |
| | | | | | 6 | 352 | 0.18 | |
| | | | | | 6 | 354 | 0.05 | |
| | | | | | 6 | 365 | 0.31 | |
| | | | | | 6 | 368 | 0.18 | |
| | | | | | 6 | 369 | 2.62 | |
| | | | | | 6 | 370 | 0.11 | |
| | | | | | 6 | 371 | 0.22 | |
| | | | | | 6 | 372 | 3.52 | |
| | | | | | 6 | 375 | 0.21 | |
| | | | | | 6 | 382 | 0.59 | |
| | | | | | 6 | 383 | 0.31 | |
| | | | | | 6 | 389 | 0.16 | |
| | | | | | 6 | 390 | 0.30 | |
| | | | | | 6 | 392 | 0.08 | |
| | | | | | 6 | 392 | 0.08 | |
| | | | | | 6 | 393 | 0.08 | |
| | | | | | 6 | 397 | 0.61 | |
| | | | | | 6 | 409 | 5.63 | |
| | | | | | 6 | 436 | 0.03 | |
| | | | | | 6 | 442 | 4.82 | |
| | | | | | 6 | 443 | 1.45 | |
| | | | | | 6 | 449 | 14.11 | |
| | | | | | 6 | 450 | 1.92 | |
| | | | | | 7 | 324 | 0.19 | |
| | | | | | 8 | 329 | 0.04 | |
| | | | | | 8 | 342 | 0.55 | |
| | | | | | 8 | 353 | 0.25 | |
| | | | | | 8 | 429 | 1.09 | |
| | | | | | 9 | 322 | 0.22 | |
| | | | | | 9 | 326 | 0.23 | |
| | | | | | 9 | 327 | 0.24 | |
| | | | | | 9 | 331 | 0.14 | |
| | | | | | 9 | 340 | 0.28 | |
| | | | | | 9 | 343 | 0.47 | |
| | | | | | 9 | 344 | 0.10 | |
| | | | | | 9 | 345 | 0.20 | |
| | | | | | 9 | 346 | 0.56 | |
| | | | | | 9 | 347 | 0.32 | |
| | | | | | 9 | 355 | 0.14 | |
| | | | | | 9 | 398 | 0.54 | |
| | | | | | 9 | 404 | 0.85 | |
| | | | | | 9 | 405 | 0.80 | |
| | | | | | 9 | 425 | 0.95 | |
| | | | | | 10 | 323 | 0.13 | |
| | | | | | 11 | 319 | 0.15 | |
| | | | | | 11 | 424 | 0.77 | |
| | | | | | 12 | 257 | 0.42 | |


| | | |
|----|-----|------|
| 12 | 259 | 0.30 |
| 12 | 330 | 0.24 |
| 12 | 332 | 0.70 |
| 12 | 333 | 0.20 |
| 12 | 356 | 0.15 |
| 12 | 364 | 0.26 |
| 12 | 367 | 0.17 |
| 12 | 381 | 0.74 |
| 12 | 399 | 0.94 |
| 12 | 419 | 2.95 |
| 12 | 428 | 2.40 |
| 12 | 444 | 6.01 |
| 12 | 445 | 7.06 |
| 15 | 358 | 0.03 |
| 15 | 359 | 1.07 |
| 15 | 360 | 0.66 |
| 16 | 258 | 0.19 |
| 16 | 308 | 0.07 |
| 16 | 309 | 0.18 |
| 16 | 309 | 0.15 |
| | 459 | |
| 16 | 320 | 0.30 |
| 16 | 328 | 0.42 |
| 16 | 384 | 0.08 |
| 16 | 388 | 0.50 |
| 16 | 410 | 0.83 |
| 16 | 418 | 0.34 |
| 18 | 385 | 0.83 |
| 18 | 421 | 0.13 |
| 18 | 422 | 0.11 |
| 18 | 423 | 1.39 |
| 19 | 321 | 0.02 |
| 21 | 261 | 1.10 |
| 21 | 297 | 1.21 |
| 21 | 304 | 0.67 |
| 21 | 305 | 0.23 |
| 21 | 307 | 0.02 |
| 21 | 313 | 0.45 |
| 21 | 315 | 2.15 |
| 21 | 317 | 0.35 |
| 21 | 325 | 0.10 |
| 21 | 336 | 0.48 |
| 21 | 337 | 0.02 |
| 21 | 414 | 9.50 |
| 21 | 415 | 0.42 |
| 21 | 417 | 0.17 |
| 21 | 430 | 4.36 |
| 21 | 431 | 0.12 |
| 21 | 435 | 0.20 |

रैयती भूमि (SPIADA द्वारा
अधिग्रहित)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----|----|-----------|------|--------------------------------------|
| | | | | | 21 | 437 | 1.41 | |
| | | | | | 24 | 402 | 1.20 | |
| | | | | | 24 | 403 | 1.85 | |
| | | | | | 25 | 341 | 0.11 | |
| | | | | | 25 | 376 | 0.34 | |
| | | | | | 25 | 378 | 0.03 | |
| | | | | | 27 | 311 | 0.11 | |
| | | | | | 27 | 339 | 0.29 | |
| | | | | | 27 | 350 | 0.15 | |
| | | | | | 27 | 357 | 0.14 | |
| | | | | | 27 | 386 | 0.08 | |
| | | | | | 27 | 387 | 0.41 | |
| | | | | | 27 | 395 | 0.26 | |
| | | | | | 27 | 396 | 0.01 | |
| | | | | | 27 | 413 | 0.90 | |
| | | | | | 27 | 386 / 470 | 0.02 | |
| | | | | | 29 | 377 | 0.15 | |
| | | | | | 29 | 379 | 0.03 | |
| | | | | | 29 | 380 | 0.10 | |
| | | | | | 29 | 400 | 0.37 | |
| | | | | | 29 | 401 | 0.33 | |
| | | | | | 29 | 378 / 471 | 0.01 | |
| | | | | | 30 | 349 | 0.42 | |
| | | | | | 30 | 351 | 0.03 | |
| | | | | | 30 | 394 | 0.34 | |
| | | | उत्तिमपुर | 182 | 1 | 11 | 1.32 | रैयती भूमि (SPIADA द्वारा अधिग्रहित) |
| | | | | | 1 | 12 | 0.32 | |
| | | | | | 1 | 14 | 0.22 | |
| | | | | | 1 | 15 | 1.01 | |
| | | | | | 1 | 16 | 0.38 | |
| | | | | | 1 | 17 | 0.42 | |
| | | | | | 2 | 25 | 0.28 | |
| | | | | | 2 | 26 | 1.77 | |
| | | | | | 2 | 27 | 0.75 | |
| | | | | | 2 | 28 | 0.62 | |
| | | | | | 2 | 29 | 0.26 | |
| | | | | | 2 | 30 | 0.82 | |
| | | | | | 2 | 32 | 0.38 | |
| | | | | | 2 | 33 | 1.46 | |
| | | | | | 2 | 34 | 1.22 | |
| | | | | | 2 | 35 | 0.31 | |
| | | | | | 2 | 36 | 3.30 | |
| | | | | | 2 | 38 | 1.80 | |
| | | | | | 2 | 39 | 1.37 | |
| | | | | | 2 | 41 | 0.15 | |
| | | | | | 2 | 42 | 0.18 | |
| | | | | | 2 | 43 | 3.78 | |
| | | | | | 2 | 44 | 0.08 | |
| | | | | | 2 | 45 | 0.41 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---------|-----------|-----|----|------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 2 | 46 | 0.52 | |
| | | | | | | 2 | 47 | 2.19 | |
| | | | | | | 2 | 48 | 0.21 | |
| | | | | | | 2 | 49 | 0.27 | |
| | | | | | | 2 | 50 | 8.90 | |
| | | | | | | 2 | 51 | 2.55 | |
| | | | | | | | कुल | 169.10 | |
| 02 | 04/17-1 8 | देवघर | देवीपुर | उत्तिमपुर | 182 | 03 | 07 | 0.16 | परती कदीम |
| | | | | | | | 08 | 0.14 | |
| | | | | | | | 09 | 0.15 | |
| | | | | | | | 13 | 1.50 | |
| | | | | | | | 31 | 1.19 | |
| | | | | | | | 37 | 1.50 | |
| | | | | | | | कुल | 4.64 | |
| 03 | 05/17-1 8 | देवघर | देवीपुर | सुलतानपुर | 296 | 25 | 169 | 0.90 | परती कदीम |
| | | | | | | | 170 | 0.24 | |
| | | | | | | | 186 | 3.55 | |
| | | | | | | | कुल | 4.69 | |
| 04 | 09/17-1 8 | देवघरु | देवीपुर | रामपुर | 183 | 31 | 447 | 0.61 | परती कदीम |
| | | | | | | | 439 | 2.07 | |
| | | | | | | | 438 | 0.81 | |
| | | | | | | | 434 | 0.01 | |
| | | | | | | | 433 | 0.01 | |
| | | | | | | | 432 | 6.00 | |
| | | | | | | | 427 | 0.31 | |
| | | | | | | | 374 | 0.07 | |
| | | | | | | | 366 | 0.22 | |
| | | | | | | | 335 | 0.03 | |
| | | | | | | | 334 | 0.13 | |
| | | | | | | | 318 | 0.10 | |
| | | | | | | | 316 | 0.01 | |
| | | | | | | | 312 | 0.02 | |
| | | | | | | | 306 | 0.05 | |
| | | | | | | | 296 | 0.03 | |
| | | | | | | | 274 | 1.98 | |
| | | | | | | | कुल | 12.46 | |
| 05 | 10/17-18 | देवघरु | देवीपुर | रामपुर | 183 | 31 | 448 | 0.37 | रास्ता रास्ता रास्ता आहर |
| | | | | | | | 446 | 0.28 | |
| | | | | | | | 416 | 1.10 | |
| | | | | | | 03 | 348 | 0.04 | |
| | | | | | | | कुल | 1.79 | |
| 06 | 11/17-18 | देवघर | देवीपुर | सुलतानपुर | 296 | 25 | 171 | 2.98 | आहर |
| | | | | | | | कुल | 2.98 | |
| 07 | 15/17-18 | देवघर | देवीपुर | उत्तिमपुर | 182 | 03 | 18 | 0.83 | नाला गढ़हा रास्ता रास्ता |
| | | | | | | | 40 | 4.72 | |
| | | | | | | | 53 | 0.20 | |
| | | | | | | | 57 | 0.24 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-------|---------|------------|-----|----|----------------|---------------|------|
| | | | | | | | कुल | 5.99 | |
| 08 | 06/17-18 | देवघर | देवीपुर | रामपुर | 183 | 31 | 338 | 2.68 | गोचर |
| | | | | | | | 373 | 1.60 | गोचर |
| | | | | | | | 406 | 21.00 | गोचर |
| | | | | | | | 407 | 0.28 | गोचर |
| | | | | | | | 408 | 0.63 | गोचर |
| | | | | | | | 411 | 0.04 | गोचर |
| | | | | | | | 412 | 0.04 | गोचर |
| | | | | | | | कुल | 26.27 | |
| 09 | 13/17-18 | देवघर | देवीपुर | सुल्तानपुर | 296 | 25 | 185 | 9.00 | गोचर |
| | | | | | | | कुल | 9.00 | |
| | | | | | | | सकल कुल | 236.92 | |


 सरकार के संयुक्त सचिव
 R

देवघर समाहरणालय
(जिला राजस्व शाखा)
॥ आदेश ॥

20

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो-डोरण्डा, राँची।

विषय :- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) हेतु देवघर जिलान्तर्गत अंचल-देवीपुर के विभिन्न मौजा के सरकारी भूमि, रकबा-35.27 एकड़, किस्म-गैर मजरूआ गोचर भूमि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क भू-हस्तांतरण करने एवं उक्त गोचर भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु समतुल्य समीपवर्ती अंचल के विभिन्न मौजा के कुल रकबा-35.27 एकड़ गैर मजरूआ परती कदीम भूमि को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 38(2) के तहत गोचर घोषित करने के संबंध में।

आदेश :-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-433(9)/स्वा0, दिनांक 11.09.17 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत अंचल-देवीपुर के निम्नांकित मौजा के सरकारी भूमि, कुल रकबा 35.27 एकड़, किस्म-गैर मजरूआ गोचर भूमि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1245/रा0, दिनांक-06.05.10 एवं संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0 5959/रा0, दिनांक-17.11.16 द्वारा प्रदत्त की गयी प्रत्यायोजित शक्ति के आलोक में शर्तों के अधीन सशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप उक्त गोचर भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित मौजा के आस-पास परती कदीम भूमि उमलव्य नहीं रहने के कारण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक 4202/रा0, दिनांक 28.07.2016 एवं 5959/रा0, दिनांक 17.11.2016 के आलोक में समीपवर्ती निम्न अंचलों से प्रस्तावित गैर मजरूआ परती कदीम भूमि को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-38 (2) के तहत गोचर घोषित किया जाता है।

देवीपुर अंचल अन्तर्गत प्रस्तावित योजना हेतु ली गयी गोचर भूमि की विवरणी -

| क्र० | अभिलेख संख्या | मौजा का नाम | थाना न० | खाता न० | दाग न० | कुल रकबा (ए०में) | किस्म |
|-----------|---------------|-------------|---------|---------|---|------------------|-------|
| 1 | 06/17-18 | समपुर | 183 | 31 | 338 373 406 407 408 411 412 | 26.27 | गोचर |
| 2 | 13/17-18 | सुलतानपुर | 296 | 25 | 185 | 9.00 | गोचर |
| कुल योग - | | | | | | 35.27 | |

प० 5
27/11/17

8239
27/11/17

11-11-2017
11/11/17



उपरोक्त गोचर भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु समीपवर्ती अंचल में घोषित की जाने वाली परती कदीम भूमि की विवरणी -

| क्र० | अभिलेख सं० | अंचल | मौजा का नाम | थाना न० | खाता न० | दाग न० | रकबा (ए० में) | किस्म |
|-----------|------------|--------|-------------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | 07/2017-18 | सारवां | डकाय | 242 | 67 | 92 | 3.00 | परती कदीम |
| 2 | 07/2017-18 | सारवां | डकाय | 242 | 67 | 72 | 22.44 | परती कदीम |
| 3 | 08/2017-18 | मधुपुर | ढाय | 135 | 21 | 176, 685, 158, 381 | 1.87 | परती कदीम |
| 4 | 08/2017-18 | मधुपुर | बेलकुकरा | 149 | 18 | 507, 286, 432 | 7.96 | परती कदीम |
| कुल योग - | | | | | | | 35.27 | |

[Handwritten signature]
11-11-2017

[Handwritten signature]
11/11/17
उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 2831/रा०, देवघर, दिनांक 13-11-2017

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5959/रा०, दिनांक-17.11.16 एवं 4306/रा०, दिनांक-24.10.14 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, साखवां एवं मधुपुर को क्रमशः अभिलेख सं०-07/17-18 एवं 08/17-18, संलग्न कर वापस भेजते हुए आदेश दिया जाता है कि प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित गैर भर्जरूआ परती कदीम भूमि को अधिसूचित गोचर भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

[Handwritten signature]
11-11-2017

[Handwritten signature]
11/11/17
उपायुक्त,
देवघर।